जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में अनियमितताओं के संबंध में प्राधिकरण के वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप प्राप्त होने पर सरकार ने जांच के लिए उक्त आरोप 11.2.1992 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिए। सरकार ने 20.3.92 को इस मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा विशेष लेखा परीक्षा करने के लिए भी कहा। विशेष लेखा परीक्षक ने बाहरी एजेंसी के माध्यम से गहन जांच कराने की अनुशंसा की है।

(घ) इसमें निहित कुल धनराशि, यदि कोई है, की जानकारी जांच पूरा हो जाने के बाद ही मिलेगी।

भारतीय जहाजरानी उद्योग की कार्य-कुशलता

4567. **डा. जितेन्द्र कुमार जेम** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजरानी उद्योग पिछले कई वर्षों से लगातार काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि होने के साथ-साथ इस उद्योग की कार्य-कुशलता में भी वृद्धि हो रही है,

(ग) यदि हां, तो गत कुछ वर्षों के दौरान कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, और

(घ) क्या यह भी सच है कि हाल ही में रूस और भारत के बीच जहाजरानी के संबंध में अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर होने थे लेकिन वे नहीं हो पाए, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई एक मात्र मानदंड नहीं है जिसके आधार पर नौवहन उद्योग की कार्य कुशलता का अनुमान लगाया जा सके। यह एक विश्वव्यापी उद्योग है जिसकी कार्य कुशलता, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भाड़ा दरों, पर्याप्त टनेज की उपलब्धता, कार्गो की उपलब्धता, इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है। इनमें से अधिकतर कारक नौवहन उद्योग के नियंत्रण से बाहर हैं।

(ग) सरकार ने ऐसे अनेक उपाय किए हैं जिनसे नौवहन उद्योग अपने कार्य-निष्पादन को सुधार सके। अभी हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ नीचे दिए गए हैं :-

(i) जहाज अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

(ii) नौवहन कम्पनी बेयर-बोट चार्टर-कम-डिभाइज विधि के तहत जहाज खरीद सकती है बशर्ते उनके पास इस प्रयोजनार्थ वैध अनुमोदन हो।

(iii) नौवहन कम्पनी सरकार की अनुमति के बिना 30,000 डी डब्लू टी तक के बल्क कैरियर खरीद सकती है।

(iv) जहाजों को भाड़े पर देने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करना।

(v) जहाजों की बिक्री के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक

4568. **श्री अमन्तराम जायसवाल** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले सभी प्रकार

क मोटर वाहन अत्यधिक धुआं फैलाते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने/बंद करने का कोई कानून/प्रावधान/नियम है,

(ग) यदि हां, तो इन कानूनों/नियमों को लागू करने के लिए कौन से प्राधिकारी जिम्मेदार हैं, और

(घ) क्या सरकार इन कानूनों/नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विफल होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली सभी प्रकार के मोटर वाहन अत्यधिक धुआं छोड़ सकते हैं लेकिन दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले सभी मोटर वाहन अत्यधिक धुआं नहीं छोड़ रहे हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 की धारा 115 और 116 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) संगत कानूनी उपबंध है। राज्य पुलिस तथा परिवहन विभाग उक्त उपबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार ने उक्त कानूनी उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश दिए हैं।

बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट देना

4569. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में कितनी नयी बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट जारी किए गए,

(ख) इनमें से कितने परमिट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जारी किए गए, और

(ग) इन परमिट वाली बसों का सड़कों पर चलना कब तक आरंभ हो जाएगा :

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) राज्य परिवहन प्राधिकरण ने प्राईवेट आपरेटरों को 125 स्टेज कैरिज परमिट प्रदान किए हैं, जिनमें से 23 परमिट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 3000 स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने की एक योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) सभी 125 बसें चल रही हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत पुरानी बसें

4570. **मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत कितनी पुरानी बसें हैं और उनमें से कितनी आठ वर्षों से ज्यादा पुरानी हैं तथा उनका प्रतिशत क्या है,

(ख) क्षेत्र-वार तथा डिपो-वार कितनी पुरानी बसें है और कुल पुरानी बसें में से उनका प्रतिशत क्या है,

(ग) अंतक्षेत्रीय और अंतडिपो प्रतिशतता में असमानता के क्या कारण हैं, और

(घ) इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क)